न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-3, लखीमपुर-खीरी।

परिवाद सं0-59/2019

मेसर्स रजत इलेक्ट्रीकल्स बनाम विवेक कुमार वर्मा

दिनांक 10.06.2019

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

परिवादी की ओर से परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट में विपक्षी की तलबी हेतु प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी व अभियुक्त के संबंध मयुर व विश्वासनीय थे अभियुक्त ने अभियोगी फर्म इलेक्ट्रिकल्स का सामान क्रय किया कीमत अदायगी के लिए 1,00,000/-रू0 (एक लाख रुपये मात्र) की चेक सं0-895525 दिनांक 15.10.2018 खाता सं0-87001400000637 सिंडिकेट बैंक शाखा लखीमपुर जिला खीरी अपने हस्ताक्षर से अभियोगी फर्म से पक्ष में जारी किया। अभियोगी उक्त चेक अपने खाते में जमा की जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण डिस आनर हो गयी जिसका मेमो 24.10.2018 को जारी किया जिसकी सूचना अभियुक्त को दी अभियुक्त ने पुनः चेक लगाकर भुगतान लेने का अनुरोध किया फलस्वरूप अभियोगी ने पुनः चेक खाते में लगाया लेकिन अभियुक्त ने खाते में धन जमा नहीं किया परिणामस्वरूप चेक पुनः डिसआनर हो गयी। जिसका मेमो 30.11.2018 को जारी किया गया जिसकी सूचना अभियुक्त को दी तो अभियुक्त ने चेक की धनराशि अदा करने से इंकार कर दिया जिससे अभियुक्त की नियत खराब मालूम होती है। अभियुक्त दिनांक 15.12.2018 के जरिए अधिवक्ता रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.12.2018 को नोटिस प्रेषित की जो अभियुक्त पर तामील हुई लेकिन अभियुक्त ने नोटिस का पालन नहीं किया ।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा सूची के माध्यम मूल चेक सं0-895525 दिनांक 15.10.2018 मु01,00,000/-रू0, मूल रिटर्न मेमो दिनांकित 24.10.2018, मूल रिटर्न मेमो दिनांकित 30.11.2018, नोटिस की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, सूची गवाहान प्रस्तुत किया । परिवादी की ओर से अभियुक्त को विधि अनुसार नोटिस देते हुए परिसीमा अवधी के अंदर परिवाद प्रस्तुत किया है। संपूर्ण विवेचना से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनता है तथा अभियुक्त विवेक कुमार वर्मा को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त विवेक कुमार वर्मा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु जरिए समन तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी नियमानुसार करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 08.08.2019 को पेश हो।

(विकास श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-3,
लखीमपुर-खीरी।